राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं.– 33/2014 प्रा.प्र. निर्णय दिनांक– 01 जुलाई, 2015

1. श्री कालूसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी झूठो का गुडा कालागुमान तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी ओडा उमरवास तहसील कुम्भलगढ
2. श्री नाथूसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी झूठो का गुडा कालागुमान तहसील भीम
3. श्री हरिसिंह पिता नवलसिंह जाति रावत निवासी झूठो का गुडा कालागुमान तहसील भीम
4. श्री पन्नालाल पिता गंगाराम जाति रावत निवासी झूठो का गुडा कालागुमान तहसील भीम
5. श्री उमसिंह पिता खूमसिंह जाति रावत निवासी झूठो का गुडा कालागुमान तहसील भीम

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>
<u>वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी</u>

यह कि ग्रम झूठिया पटवार हल्का कालागुमान तहसील भीम के रेवेन्यु रिकार्ड जमाबन्दी 2067–70 के खाता संख्या 11 की आराजी संख्या 55 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी2, आराजी संख्या 77 रकबा 03 विस्वा किस्म गैमु चाह एवं आराजी संख्या 78 रकबा 03 बीघा 1 विस्वा किस्म चाही3 कुल किता 03 रकबा 4 बीघा 04 विस्वा किस्म बंझड जिस पूरे रकबे पर प्रार्थी का कब्जा चला रहा है जो कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी में चली आ रही है।

आराजी संख्या 55, 77, 78 व 57 की भूमि आई हुई है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है उक्त आराजियात के पडौस निम्न प्रकार हैः–
पूर्वः– हरिसिंह पिता लालसिंह की भूमि,
पश्चिमः– पन्नाराम पिता गंगाराम की भूमि
उत्तरः– हरिसिंह पिता लालसिंह की भूमि
दक्षिणः– हरिसिंह पिता नवलसिंह की भूमि आई हुई है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 से 5 की आराजियात के मध्य किसी प्रकार की कोई पाल डोल नही लगी हुई है, न ही किसी प्रकार का कोई सीमांकन चिन्ह ही है जिसके कारण हर साल प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य पाली की घास व उस पर लगे पेड पौधे को लेकर झगडा होता रहता है।

प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 लगायंत 5 को उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु सयुंक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 5 चुस्त व चालाक व्यक्ति है एवं प्रार्थी तथा उनकी आराजियात के मध्य किसी प्रकार से पालडोल लगाने पर राजी नही है, जिससे उक्त लोगो ने प्रार्थी को कभी सही जवाब नही दिया एवं हमेशा टालते रहे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 गांव में प्रभावशाली व पैसे वाले व्यक्ति है जिसके कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नही करना चाहता एवं वो अपनी मनमानी पर उतारू है। वे हर साल घास निकालते समय या फसल बोते समय पाली को लेकर झगडे होते रहते है इस प्रकार के झगडो को खत्म करने के लिये प्रार्थी को अपनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की आराजियात में मध्य पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है एवं इसी हेतु यह प्रार्थना पत्र लगाया जा रहा है।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर** में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner